न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 63/2025

उनवान

1. इन्द्र कुमार पुत्र जगदीश उम्र–वयस्क, जाति–महाजन, निवासी–डी 602, एस.डी. सी. ग्रीन पार्क जनता कॉलोनी जयपुर राजस्थान।
2. अनामिका गोयल पत्नी श्री अजय गोयल महाजन उम्र–वयस्क, जाति महाजन निवासी–म नम्बर 03 बरडिया कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. पूरण मल पुत्र बिहारी लाल (फौत नाम हजफ)
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिहारी लाल
3. विनोद कुमार पुत्र बिहारी लाल
4. शिम्भुदयाल पुत्र बिहारी लाल
5. सीता राम पुत्र बिहारी लाल

   5/1 द्वारिका देवी पत्नि स्व0 श्री सीताराम

   5/2 अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री सीताराम

   5/3 सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सीताराम

   5/4 मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सीताराम

   5/5 हंस कुमार पुत्र स्व0 श्री सीताराम

   5/6 सुनीता देवी पुत्री स्व0 श्री सीताराम

   समस्त जाति महाजन निवासी सुराना तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार, तहसील–मनोहरपुर, जिला–जयपुर, राज0।
7. उपपंजीयन, उपपंजीयक मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26/2/26

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 423 के खसरा नंबर 1267 रकबा 0.31 है0 , खसरा नंबर 1268 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 वाकै ग्राम सुराना पटवार हल्का सुराणा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार है नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 संलग्न वाद पत्र है। मद संख्या 1 में दर्ज भूमि में हम 1 अनामिका पत्नी महाजन हिस्सा 1/4 जाति महाजन निवासी म.नं. 3 बरडिया कॉलोनी जयपुर 2 इन्द्रकुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/4 जाति महाजन निवासी नि.डी. सी. ग्रीन पार्क जनका कॉलोनी जयपुर, 3 पूरणमल पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/10 जाति महाजन निवासी खोरालाडखानी, 4 राजेन्द्र कुमार पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/10 जाति महाजन निवासी खोरालाडखानी, 5 विनोद कुमार पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/10 जाति महाजन निवासी खोरालाडखानी, 6 शिम्भुदयाल पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/10 जाति महाजन निवासी खोरालाडखानी, 7 सीताराम पुत्र बिहारीलाल हिस्सा 1/10 जाति महाजन निवासी खोरालाडखानी, खातेदारी दर्ज एवं मौके पर काबिज है। इसका विवरण पत्रावली में सारणीवार वर्णित है। आराजी खाता संख्या 423 के खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम सुराना पटवार हल्का सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान मे वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा पूंव मे मौखिक बटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.26 हैक्टे. व खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.31 हैक्टे. मे से खसरा नम्बर 1268 के लगते 0.025 हैक्टे॰ पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने सामलाती मे पक्की दीवार बनाकर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के अनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकॉंड मे अमल दरामद करवाया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके हिस्से मे आई भूमि का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान का निंधारण किया जावे। यह है कि उक्त आराजीयात भमि पर समस्त पक्षकारान का मौके पर अपने–अपने बहिस्से पर पुख्ता निंमाणात किया हुआ है। यह है कि लगान अदायगी व अन्य घरेलू मामलो मे संयुक्त काश्त को लेकर उनके विवाद एवं कठिनाईयों सामने के आने के कारण हमने पारस्परिक समझौते के जरिये अपनी काश्त की भूमि का मौके पर आपस मे विभाजन कर लिया है। यह है कि वादीगण मौके के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे भी विभाजन करवाना चाहते है जिसके लिए प्रतिवादीगण भी वादीगण को पूर्व मे सहमति से मोके के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे बंटवारा करावाने के लिए आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 10/07/2025 को राजस्व रिकॉर्ड मे बंटवारा कराने से स्पष्ट इनकार कर दिया है यदि प्रतिवादीगण जो कि उक्त आराजियात के सह खातेदार है मे बिना कानून बंटवारा करवाये ही अपने हिस्से की भूमि को अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान कर देते है तो वादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

अकथनियान हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी धन राशि से किया जाना संभव नही होगा व पक्षकारो के मध्य अनावाश्यक मुकदमेबाजी बढेगी इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 423 के खसरा नंबर 1267 रकबा 0.31 है0 वाकै ग्राम सुराना पटवार हल्का सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान मे वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा पूर्व मे मौखिक बटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.26 हैक्टे. व खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.31 हैक्टे. मे से खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.025 हैक्टे. पर वादीगण सामलाती मे पक्की दीवार बनाकर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के अनुसार बटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकॉंड मे अमल दरामद करवाया जावे तथा वादीगण को उनके हिस्से मे आई भूमि का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान का निंधारण किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के बंटवारे मे आई भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रणवीर कपूरिया ने अण्डरटेकिंग दी व प्रतिवादी संख्या 1 व 5 का फौत होना जाहिर किया। वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी मय दफा 5 सीपीसी, प्रार्थना–पत्र नाम हजफ प्रतिवादी संख्या 1, संशोधित शीर्षक, प्रार्थना–पत्र राजीनामा व शपथ–पत्र, बंटवारा सहमति–पत्र पेश किया। पक्षकारान् ने उक्त प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पक्षकारान् को उक्त प्रार्थना–पत्रों पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने से पक्षकार उक्त प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी है। अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी मय दफा 5 सीपीसी, प्रार्थना–पत्र नाम हजफ प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है । वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया एवं प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार पक्षकारान् ने कथन किया कि हम पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं उक्त राजीनामे से हम सभी पक्षकार सहमत है। यदि दावा राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान् को कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का विवरण निम्न प्रकार से है :– " हाल आराजी खाता संख्या 423 के हाल आराजी खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.3100 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

व आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.2600 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जो राजस्व रिर्काड में वादी संख्या 01 इन्द्र कुमार पुत्र जगदीश का हिस्सा 1/4 व वादी संख्या. 2 अनामिका गोयल पत्नी श्री अजय गोयल का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज राजस्व रिर्काड है, तथा प्रतिवादी 01 लगायत 5 का प्रत्येक का हिस्सा 1/10 भाग दर्ज राजस्व रिर्काड रहा है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 5 फोत हो चुके है जिनमें प्रतिवादी संख्या 01 अविवाहित / नाऔलाद फोत हो चुका हैं। जिसके विधिक वारिस व उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 व 5/1 लगायत 5/6 है, इनके अलावा अन्य कोई विधिक वारिस या उत्तराधिकारी नही है। यह कि वर्णित आराजी में हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम व हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग की आराजी रही है उभय पक्षकारान ने आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से आपस में आराजी का बंटवारा कर लिया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1267/0.31 व 1268/0.26 कुल 2 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान के हिस्से 1/2 की खातेदारी पृथक से वादीगण के नाम व हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी के नाम राजस्व रिर्काड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। यह कि उक्त वर्णित आराजी के नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार वादीगण को हिस्सा 1/2 भाग दक्षिण की ओर व प्रतिवादीगण को हिस्सा 1/2 भाग का हिस्सा उत्तर की ओर पृथक–पृथक नम्बर व समानोपाती रकबे में एवं पृथक–पृथक लगान का र्निधारण किया जाकर राजस्व रिर्काड में अमल दरामद करवाया जाना न्यायसंगत हैं। यह कि प्रकरण के न्याय पूर्ण निस्तारण के लिए भी वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुये राजीनामे के आधार पर तकासमा किया जाकर उसका राजस्व रिर्काड में अमल दरामद किया जाना उचित व न्यायसंगत हैं। अतएव श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुये राजीनामे के आधार पर संलग्न नक्शा कुर्रेजात अनुसार/बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खातेदारी व पृथक–पृथक खसरा नम्बर दर्ज कर तद्नुसार नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। ''

प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान् राजीनामा से सहमत है एवं राजीनामा अनुसार दावा अंतिम डिक्री चाहते है। अतः दावा राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खाता संख्या 423 के हाल आराजी खसरा नंबर 1267 रकबा 0.3100 है0, 1268 रकबा 0.2600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5700 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान की भूमि का पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. अनामिका गोयल पत्नि अजय गोयल हि0 1/2 जाति महाजन म. नं. 3 बरडिया कॉलोनी जयपुर, इन्द्र कुमार पुत्र जगदीश हि0 1/2 जाति महाजन नि. डी. 602 एस. डी.सी. ग्रीन पार्क जनता कॉलोनी जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1267/2 रकबा 0.0250 है0, 1268 रकबा 0.2600 है0 किता 2 कुल रकबा 0.2850 है0 भूमि रहेगी , जिसे नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
2. राजेन्द्र प्रसाद, विनोद कुमार, शिम्भुदयाल पुत्रान् बिहारीलाल हि0 3/4, द्वारिका देवी पत्नि सीताराम, अशोक कुमार, सतीश कुमार, मुकेश कुमार, हंस कुमार पुत्रान् सीताराम, सुनिता पुत्री सीताराम हि0 1/4 जाति महाजन सा0 देह सुराना तहसील शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1267/1 रकबा 0.2850 है0 किता 1 कुल रकबा 0.2850 है0 भूमि रहेगी, जिसे नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान् उक्त राजीनामे से पाबंद रहेंगे। साथ ही पक्षकारान एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26/2/26 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदड़, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर